प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1- दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2- सम्बन्धित दुग्धशाला विकास अधिकारी/उप दुग्धशाला विकास अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी, दुग्धशाला विकास विभाग, आगरा, मैनपुरी, जालौन(उरई), हमीरपुर, झांसी, बांदा, महोबा, लखनऊ, लखीमपुर-खीरी, बरेली, शाहजहाँपुर, पीलीभीत, मेरठ, रामपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, गोरखपुर, महराजगंज, देवरिया, बस्ती, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, मऊ, प्रयागराज, प्रतापगढ़, कानपुर, अयोध्या (फैजाबाद), अम्बेडकरनगर, गोण्डा एवं बहराईच ।

दुग्ध विकास अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 03 जनवरी 2023

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 में वर्तमान दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजनान्तर्गत वित्तीय स्वीकृति (जिला योजना- एस०सी०पी०) अनुदान संख्या-83 ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ०प्र० के पत्रांक-405/ दुग्ध-4/नियो०/सुदृढीकरण-एस०सी० पी० (272)/2022-23, दिनांक 25 नवम्बर, 2022 के सदंर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजनान्तर्गत दुग्ध संघों को अनुदान हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्राविधानित धनराशि रूपये 2695.16 लाख के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में रू0 1354.6912 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-18/2022/480/001-53-925-2019, दिनांक 12 जुलाई, 2022 के द्वारा निर्गत की जा चुकी है। द्वितीय किश्त के रूप में अवशेष धनराशि रू0 1340.46880 लाख (रूपये तेरह करोड़ चालीस लाख छियालीस हजार आठ सौ अस्सी मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल संलग्नक के अनुसार सम्बन्धित दुग्धशाला विकास अधिकारी/उप दुग्धशाला विकास अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

नियम व शर्तें / प्रतिबन्ध

(1) यह धनराशि अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के लिए एस०सी०पी०/टी०एस०पी० के मानक के अनुरूप व्यय की जायेगी।

(2) यह धनराशि वित्तीय वर्ष 2022-23 में चालू योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के लाभार्थियों के लिए अनुदान व्यय हेतु है।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा और धनराशि किसी भी स्तर पर बैंक खाता/डाकघर में जमा नहीं की जायेगी।

(4) स्वीकृत धनराशि का उपयोग मात्र अनुसूचित जाति के सदस्यों से गठित/पुनर्गठित समितियों पर ही किया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि में से अनुरक्षण मद में कोई धनराशि व्यय नहीं की जायेगी। यदि किसी अनुरक्षण मद पर कोई व्यय आवश्यक हो तो दुग्ध संघ / समितियां अपने संसाधन से वहन करेंगे।

(6) भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान तथा अनुसूचित जाति के उपयोगिता के लिए निर्धारित मानकों / दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(7) दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा वित्तीय स्वीकृति के उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के साथ संलग्न सूची में उल्लिखित धनराशियों की शुद्धता एवं सही होने का दायित्व दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 का होगा।

.....2/-

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(8) सम्बन्धित जनपदों की वास्तविक आवश्यकता एवं भौतिक लक्ष्यों के आधार पर धनराशि आहरित की जायेगी तथा स्वीकृत की जा रही धनराशि को सम्बन्धित जनपदों की जिला योजना के अन्तर्गत होने वाली बचतों में समयोजित किया जायेगा, साथ ही सम्बन्धित जनपदों की जिला योजना समिति को भी यथा समय अवगत कराते हुए कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा ।

(9) उक्त धनराशि जिला योजना हेतु आवंटित परिव्यय में समायोजित होगी। अवमुक्त धनराशि से किसी भी दशा में अधिक व्यय न किया जाय तथा समस्त व्यय सम्बन्धित शासनादेश / संगत नियमों में उल्लिखित शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा। व्यय मे किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी / धनराशि का उपयोग करने वाले इकाई प्रभारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेगदार होगें। किसी भी प्रकार की विचलन की स्थिति में भी वे स्वयं भी जिम्मेदार होंगे। धनराशि का व्यय जिन कार्यों / मदों हेतु अनुमन्य है, उसी प्रयोजन में किया जायेगा। किसी अन्य मद में व्यय अनुमन्य नहीं होगा ।

(10) जिन मदों में व्यय के पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका के अधीन शासन/ सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति आवश्यक है, उनमें धनराशि व्यय करने के पूर्व अनिवार्य रूप से शासन/सक्षम अधिकारी की स्वीकृति/ अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय ।

(11) स्वीकृति की जा रही धनराशि का उपयोग व्यवसाय को सुदृढ़ करने हेतु किया जायेगा तथा किसी भी दशा में अनुत्पादक मद में इसका व्यय / उपयोग नहीं किया जायेगा। साथ ही स्वीकृत धनराशि अनुसूचित जाति के सदस्यों से गठित / पुनर्गठित समितियों पर ही किया जायेगा ।

(12) दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास विभाग द्वारा सम्बन्धित दुग्ध संघों को प्रश्नगत कार्यक्रम में वित्तीय वर्ष 2022-23 में निर्गत किश्त की धनराशि का निर्धारित मदों में उपयोग सुनिश्चित करते हुए इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र संकलित कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा ।

(13) धनराशि का आहरण करने तथा सम्बन्धित दुग्ध संघों को उपलब्ध कराने के बाद स्वीकृत धनराशि का निर्धारित प्रयोजन पर उपयोग सुनिश्चित कराकर उपयोगिता प्रमाण पत्र दुग्ध आयुक्त को यथासमय उपलब्ध कराने का दायित्व सम्बन्धित प्रबन्धक / सामान्य प्रबन्धक, दुग्ध संघ एवं उप दुग्धशाला विकास अधिकारी का होगा।

(14) एतद्वारा स्वीकृत धनराशि का आहरण तथा उसके उपयोग के सम्बन्ध में आहरण अधिकारी के लेखे-बही खाते एवं सम्बन्धित दुग्ध संघों के लेखे एवं बही खाते भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों के अवलोकनार्थ/परीक्षणार्थ उपलब्ध रहेंगे।

(15) गत वित्तीष वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष की स्वीकृतियों का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्त तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा तथा योजनावार / जनपदवार एवं जिला योजना समिति से परिव्यय प्राप्त कर लिया जायेगा ।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 13,40, 46, 880 (रुपये तेरह करोड़ चालीस लाख छियालीस हजार आठ सौ अस्सी मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय व्ययक के अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 2404007890600 वर्तमान दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनजीर्वित करने की योजनान्तर्गत दुग्ध संघों को अनुदान मानक मद 27 सब्सिडी के नामे डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक-07 जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है। संलग्नक यथोक्त।

भवदीय,
करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

.....3/-

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-2/2023/1042/002-53-2099-925-2019, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
2-महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, लखनऊ/प्रयागराज ।
3- वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, प्रयागराज ।
4- सम्बन्धित मण्डलायुक्त ।
5- सम्बन्धित जिलाधिकारी ।
6- प्रबन्ध निदेशक, पी०सी०डी०एफ० लि०, 29 - पार्क रोड, लखनऊ ।
7- सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी ।
8- सम्बन्धित कोषाधिकारी/ वरिष्ठ कोषाधिकारी ।
9- वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास, उ0 प्र0 लखनऊ ।
10- सम्बन्धित इकाई प्रभारी, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, उ0प्र0 |
11- वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-1 / नियोजन अनुभाग-3 / राज्य योजना आयोग-3, उत्तर प्रदेश शासन ।
12- सम्बन्धित मण्डलीय उपनिदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उ०प्र० ।
13- सम्बन्धित अर्थ एवं संख्याधिकारी ।
14- वेबमास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु ।
15- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
पंकज कुमार सिंह
अनु सचिव ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।